छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 928/2008

1. श्री हरि डेगल, – *अपीलार्थी*
अधिवक्ता, जिला एव सत्र न्यायालय,
दक्षिण–बस्तर, दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय सचिव, छ0ग0 विधानसभा,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 09 जनवरी, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री हरि डेगल द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय सचिव, छ0ग0 विधानसभा, रायपुर के समक्ष दिनांक 19.02.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन अस्वीकृत करने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 30.04.2008 को अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा भी उनकी अपील दिनांक 29.05.2008 को अस्वीकृत करने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष समक्ष दिनांक 05.08.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और प्रकरण में अपीलार्थी अनुपस्थित रहे थे और उन्होंने फैक्स से अपना लिखित तर्क भेजे हैं, अतः उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की जाकर प्रति अपीलार्थी के तर्कों का श्रवण किया गया। अपीलार्थी ने विधानसभा सत्र दिनांक 27. 11.2007 में हुए एक प्रश्न के उत्तर में की गई कार्यवाही का कार्य–विवरण की प्रमाणित प्रति चाही थी, किन्तु प्रति अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(सी) का हवाला देते हुए आवेदन अस्वीकृत किया है और उसी आधार पर प्रथम अपील भी अस्वीकृत की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(सी) नहीं है, बल्कि धारा–8(1)(सी) है, संभवतः उसी से जन सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी का तात्पर्य है और उसी में लिखा है कि ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान–मण्डल के विशेषाधिकार का भंग होगा, उसे दिये जाने से छूट दी है, किन्तु इस संबंध में राज्य विधान मण्डल में क्या कोई विधानसभा के नियम बनाये गये है और उन नियमों में किस नियम के अन्तर्गत यह सूचना देना विशेषाधिकार भंग होने का कारण बनता है, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। प्रकरण में मौखिक तर्क के समय यह अवश्य बताया गया कि कार्य–विवरण का एक निर्धारित अवधि तक शोधन होने की संभावना रहती है और तब–तक उसे दिया जाना संभव नहीं होता है, अतः उनका यह तर्क मान्य योग्य प्रतीत होता है और इस संबंध में यदि उस दिनांक का कार्य–विवरण का अभी–तक शोधन की अवधि समाप्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

नहीं हुई है तो उस कार्य–विवरण के शोधन के पश्चात् जब अंतिम रूप से प्रकाशन हो जावे, तब उसे दिये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है, यदि उससे कोई विशेषाधिकार का हनन नहीं होता है । प्रति अपीलार्थी द्वारा विधानसभा कार्यवाही का प्रकाशन नियम–271(क) की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति का हवाला दिया गया है, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–22 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस अधिनियम के उपबंध किसी भी अन्य अधिनियम अथवा विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी भी असंगत बात के होते हुए प्रभावी होंगे, अतः इस प्रभाव के होते हुए यदि कोई आवेदक सूचना मॉगता है तो उस संबंध में उसे सूचना दी जाना होगी । अतः इस प्रकरण में अब यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि उक्त सूचना से विधान–मण्डल के विशेषाधिकार का हनन होना पाया जाता है तो अपीलार्थी को इस संबंध में उस नियमों की स्पष्ट सूचना और नियमों की प्रति 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे अन्यथा अपीलार्थी को उनके द्वारा चाही गई जानकारी यदि कार्य–विवरण का अंतिम रूप से शोधन/प्रकाशन हो चुका है तो कार्य–विवरण की प्रति 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क प्रदान की जावे । प्रकरण में किसी प्रकार की शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ यह अपील आशिंक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com